अध्याय IV: हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डी पी एस यू), रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करता है। ऐसे नौ डी पी एस यू हैं जिनका मुखिया संबंधित अध्यक्ष एंव प्रबंधन निदेशक है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल), रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्तव वाला एक उपक्रम है। वर्तमान में एच ए एल वायुयानों (प्रशिक्षु एवं लड़ाकू), हेलिकॉप्टरों (जीवनोपयोगी एवं अस्त्र के रूप में प्रयोग करने वाले) तथा उनके पुर्ज़ों, वायुयानों तथा हेलिकॉप्टरों की मरम्मत एवं ओवरहॉल, नव उत्पादों के डिजाईन और विकास तथा उपग्रहों में इस्तेमाल किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण ढांचों के निर्माण में कार्यरत है। भारतीय वायु सेना, एच ए एल का प्रमुख ग्राहक है जो उसकी टर्नओवर का 70 प्रतिशत बनता है।

4.1 हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलूरु में सम्पदा प्रबन्धन

एच ए एल ने विभिन्न स्थानों पर फैले अपने व्यापक भूमि संसाधन के प्रबंधन हेतु भूमि उपयोग नीति नहीं बनाई थी। पहले से अतिक्रमित भूमि के अधिग्रहण तथा अतिक्रमण हटाने में विफलता के परिणामस्वरूप भूमि कम्पनी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई। कम्पनी के पास ₹211.69 करोड़ के मूल्य की भूमि का कोई अधिकार भी नहीं था।

4.1.1 परिचय

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल), रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कम्पनी, सेना तथा नागिरक कार्य दोनों के लिए वायुयानों, हेलिकॉप्टरों, एयरों इंजनों, वैमानिकी तथा नौसंचालन प्रणाली उपकरण तथा औधोगिक गैस टरबाईन इंजनों के डिजाईन, विकास, निर्माण, उन्नयन में कार्यरत है।

एच ए एल ने 31 मार्च 2014 तक सरकार तथा निजी प्रार्टियों से 11275.34 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी (**संलग्नक-XI**)।

4.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीः

4.1.2.1 भूमि अभिलेख का अनुरक्षण

(i) एच ए एल के कब्जे में भूमिः एच ए एल के कब्जे की भूमि के निर्णय प्रतियों[1] के 1985 के सार-संग्रह तथा किराएदारी तथा उपज प्रमाणपत्र[2] (आर टी सी) के अभिलेखों से कई विसंगतियो का पता चला जैसे सार-संग्रह में शामिल भूमि में आर टी सी के अनुसार निजी प्रार्टियों के नामों में शामिल भूमि, सार-संग्रह में सदस्यों का शामिल न करना तथा निर्णय तथा विनिवेश विवरण के अनुसार भूमि के क्षेत्र में अन्तर।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि कुल अधिग्रहित भूमि के विवरण सार-संग्रह में दर्शाए गए थे जबकि आर टी सी/निर्णय प्रतियां, खराब[3] भूमि कुल भूमि के साथ अलग से दर्शाए गए थे और इसलिए, सार-संग्रह तथा आर टी सी/निर्णय प्रतियों में अन्तर था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने देखा कि खराब भूमि को छोडने के बाद भी सार-सग्रंह में शामिल भूमि की तुलना में निर्णय प्रतियों में उल्लिखित भूमि के क्षेत्रों के

---

1 भूमि का अधिग्रहण करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश तथा जिनमें भूमि के वास्तविक क्षेत्र, अनुमत की जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा भूमि में रुचि रखने वाले लोगों के बीच क्षतिपूर्ति के विभाजन के सही विवरण निहित हों।

2 यह एक महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेख है क्योंकि इसमें व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह जैसे क्षेत्र, निर्धारण, जल दर, भूमि का वर्गीकरण, क्षेत्रों की संख्या, भूमि के कब्जे की प्रकृति, चाहे वह उत्तराधिकारी, विभाजन, गिरवी, देयताओं, किराएदारी तथा उगी हुई फसल के विवरण, भूमि उपयोंग, मिश्रित फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र, आदि द्वारा पंजीकृत अथवा अपंजीकृत दस्तावेज द्वारा अधिग्रहित हों, शामिल हैं।

3 खराब भूमि वह है जहां खेती सम्भव न हो तथा भूमि चट्टानों से भरी हुई तथा बंजर हो। खराब भूमि, विक्रय विलेख तथा अन्य अभिलेखों में खेती योग्य भूमि के साथ शामिल नहीं की जाएगी। खराब भूमि सरकार की होती है तथा किसी भी समय सरकार सार्वजनिक कारण से खराब भूमि को अपने कब्जे में ले सकती है।

बीच अन्तर था। उन पांच गावों के संबंध में जहां निर्णय प्रतियों के अनुसार क्षेत्र 36 एकड़ तथा 3 गुंटा था जिसमें 32 गुंटा खराब भूमि शामिल थी, वही सार-संग्रह के अनुसार वही आँकड़ा 104 एकड तथा 20 गुंटा था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा किः

- एच ए एल के कब्जे वाली भूमि के लिए समुचित प्रलेखन के अभाव के परिणामस्वरूप बी ई एम एल एक अन्य डी पी एस यू[4] के साथ विवाद हुआ। एच ए एल ने बी ई एम एल को 9 एकड़ तथा 29 गुंटा (बी ई एम एल तथा ब्यापन्नहल्ली के बीच) पर रेल पथ को, 5990 वर्ग फुट भूमि को लाइसेंस शुल्क पर साईकल स्टेण्ड के लिए, 11500 वर्ग फुट भूमि बी ई एम एल बसों की प्रार्किंग के लिए प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की तथा 1100 वर्ग फुट अतिरिक्त भूमि, प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृर्दि के साथ ₹17600 प्रति मास की दर पर मेट्रो कोच प्रदर्शित करने के लिए आबंटित की (जून 2009) बी ई एम एल ने दिसम्बर 2009 तक भूमि के इन भागों के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया और उसके पश्चात् न केवल भुगतान रोक दिया बल्कि यह कहते हुए भूमि के स्वामित्व का दावा किया (अप्रैल 2010) कि वह राशि एच ए एल से बी ई एम एल को 71.04 एकड़ भूमि के अन्तरण हेतु निष्पादित (1966) करारनामे का भाग थी। स्वामित्व स्थापित करने तथा मामले का समाधान करने में असमर्थता के कारण एच ए एल ₹8.71 करोड़ का किराया (जनवरी 2010 से मार्च 2015) वसूल नही कर सकीं। एच ए एल स्वामित्व का निर्णय करने तथा अपने हितों की रक्षा के लिए कोई सिविल याचिका भी दायर नहीं की थी।

- जैसा कि **संलग्नक-XI** से देखा जा सकता है, एच ए एल के कब्जे में बेंगलूरु परिसर में 2184.86 एकड़ भूमि थी। तथापि, एच ए एल के पास ₹1499.53 करोड़ के बाजार मूल्य वाली 402 एकड़ तथा 3836 गुंटा (220 सर्वेक्षण संख्याओं) के संबंध में निर्णय प्रतियां नहीं थी जिनका विवरण **संलग्नक-XII** में दिया गया है।

---

[4] डी पी एस यू- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (मार्च 2015) कि वह 56 सर्वेक्षण संख्याओं के संबंध में निर्णय प्रतियां थी तथा अन्य के संबंध में उसके पास आर टी सी प्रतियां थी।

उत्तर तथ्यपूर्ण नहीं है क्योंकि एच ए एल के पास 220 सर्वेक्षण संख्याओं में से 76 के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि ₹211.69 करोड़ (आठ गॉव) के बाजार मूल्य वाली 68 एकड़ भूमि को शामिल करने वाली 36 सर्वेक्षण संख्याओं में एच ए एल का नाम आर टी सी में नहीं था **(संलग्नक-XIII)**।

- सार-संग्रह के अनुसार, ऊपर संदर्मित 76 सर्वेक्षण संख्याओं में के जी थिप्यासान्द्रा गांव में एच ए एल के स्वामित्व वाली 20 सर्वेक्षण संख्याएं शामिल नहीं थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 14[5] सर्वेक्षण संख्याओं के संबंध मे एच ए एल के पास निर्णय प्रतियां नहीं थी तथा 14 सर्वेक्षण संख्याओं में से 11[6] में एच ए एल का नाम आरटीसीज में नहीं था। निर्णय प्रतियां न होने तथा आर टी सी के एच ए एल के नाम पर न होने के बावजूद, ये सर्वेक्षण संख्याएं एच ए एल द्वारा विनिवेश डॉटा में शामिल की गई थी क्योंकि ये सार-सग्रंह में शामिल थी।

  प्रबंधन ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि केजी थिप्पासान्द्रा गांव की भूमि के संबंध में आर टी सी, एच ए एल के नाम पर नहीं है।

  लेखापरीक्षा द्वारा ऊपर बताई गई स्थिति के मद्देनजर उत्तर तथ्यपरक नहीं है।

(ii) नासिक में भूमि का स्वामित्व: एच ए एल के पास 31 मार्च 2015 को 4620 एकड़ तथा 13 गुंटा भूमि थी जिसके विरूद्ध एम ओ डी द्वारा केवल 4354 एकड़ तथा 36 गुंटा के लिए करारनामा[7] किया गया था (जून 1978) शेष 265 एकड़ और 17 गुंटा के लिए कोई करारनामा नहीं था (मार्च 2015) हालांकि भूमि एच ए एल के कब्जे में थी। भूमि के

---

5 सर्वेक्षण संख्या 59/1, 60,61,62,63,64,66,67,68/3,69,70/2,72/1,72/2, तथा 73

6 सर्वेक्षण संख्या 59/1,60,61,62,64,66,67,69,70/2,72/1 तथा 72/2

7 एच ए एल को उक्त भूमि में तथा उसके ऊपर के सभी अधिकार, प्रदान करना, सम्प्रेषित करना तथा हस्तांतरित करना।

समुचित स्वामित्त्व के अभाव में एच ए एल के लिए किसी अतिक्रमण के मामले में बचाव करना कठिन हो जाएगा।

प्रबंधन ने 265 एकड़ तथा 17 गुंटा भूमि के लिए करारनामे के अभाव को स्वीकार करते हुए (मार्च 2015) कहा कि मामला महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया जा रहा था। प्रबंधन ने यह भी कहा कि भूमि जोते-क्षेत्र का सीमांकन कर लिया गया था तथा चारदीवारी बना ली गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच ए एल नासिक डिवीजन ने पहले उत्तर दिया था (दिसम्बर 2014) कि यधपि भूमि का पहले सीमांकन कर लिया गया था तथा चारदीवारी बना ली गई थी, निकटवर्ती गांव वालों ने कई बार दीवार तोड दी थी। चूंकि ऐसे भूमि के अतिक्रमण की संभावना है जैसा कि चारदीवारी को बार-बार तोडने से स्पष्ट है, अतः एच ए एल को भूमि के अभिलेखों को अपडेट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है।

4.1.2.2 भूमि पर अतिक्रमण

यह देखा गया था कि एच ए एल की 63.51 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण था (**संलग्नक**-XI)। कुछ मामलों की चर्चा नीचे की गई हैः

(i) **गन्दी बस्तियां होने के बावजूद भूमि का अधिग्रहणः** बेगंलूरू में बेलूर, मराठाहल्ली तथा विभूतपुरा में 11.96 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण था। 1985 के सार-सग्रह से मालूम हुआ कि गन्दी बस्तियां होने के बावजूद, एच ए एल ने 10 एकड़ तथा 19 गुंटा (11.96 एकड़ में से) का अधिग्रहण किया था। एच ए एल ने बेलूर गांव के गन्दी बस्ती के निवासियों के पुनर्वास हेतु वैकल्पिक भूमि की पहचान भी कर ली थी तथा एच ए एल को चयनित स्थान पर भूमि के समान क्षेत्र के आबंटन की शर्त पर गन्दी बस्तियों को शिफ्ट करने कि लिए कर्नाटक स्लम कलीयरेंस बोर्ड (के एस सी बी) को 3.55 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु अनुमति भी प्रदान कर दी थी (जुलाई 2010)। चूंकि एम ओ डी का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः

के एस सी वी ने एच ए एल द्वारा चयनित वैकल्पिक भूमि को आबंटित न करने तथा एच ए एल द्वारा चयनित भूमि के आबंटन को गन्दी बस्तियों के पुनर्वास हेतु किए गए आबंटन को लौटने का निर्णय लिया (मार्च 2014)। चूंकि एच ए एल गन्दी बस्तियों को खाली नहीं करा सकी, अतः भूमि पर अतिक्रमण बना रहा (मार्च 2015)।

इसी प्रकार, बेंगलूरू में एचएएल फैक्टरी के चारों और स्थित माराठाहल्ली गांव की सर्वेक्षण संख्या 40 और 41 में 4 एकड़ तथा 34 गुंटा माप की भूमि का अतिक्रमण हटाने के लिए एच ए एल के 1980-81 के चल रहे प्रयास भी फलीभूत नहीं हुए। एच ए एल ने गन्दी बस्तियों के पुनर्वास हेतु अगस्त 2007 में राजस्व विभाग को सिफारिश की। गन्दी बस्ती के निवासियों ने एच ए एल द्वारा उनके कब्जे की वाली भूमि के साथ दखलअंदाजी के लिए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया और मामला लम्बित था (मार्च 2015)।

प्रबंधन ने इस टिप्पणी के साथ अपनी सहमति व्यक्त की (मार्च 2015)।

इस प्रकार, अतिक्रमण वाली भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप एच ए एल को भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी और इसके अतिरिक्त मुकद्दमेबाजी/कलीयरेंस से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हुई।

(ii) अतिक्रमण के लिए प्रवृत्त भूमि के उपयोग में विलम्बः एच ए एल ने बेंगलूरू में 18 सर्वेक्षण संख्याओं के इर्द-गिर्द फैली 29 एकड़ तथा 33 गुंटा भूमि की पहचान की (मई 1998) जिसमें से 27 एकड़ फैक्ट्री के आस-पास स्थित थी। बोर्ड ने भूमि को बेचने का संकल्प लिया (जून 2000) तथा कर्नाटक सरकार (जी ओ के) (जुलाई 2000) तथा एम ओ डी (अगस्त 2000) की अनुमति मांगी। जी ओ के ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी संगठनों को भूमि बेचने की अनुमति प्रदान की (सितम्बर 2000), एम ओ डी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। एम ओ डी से अनुमोदन/निर्देशों के अभाव के कारण, बोर्ड ने उक्त भूमि पर क्वार्टरों के निर्माण

का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया (सितम्बर 2007)। निर्णय अभी (जून 2015) एच ए एल द्वारा लागू किया जाना था।

(iii) **कोरापुट डिवीजन में अतिक्रमणः** डिवीजन द्वारा धारित 3121.15 एकड़ भूमि में से, 50.21 एकड़ का अतिक्रमण उन 82 परिवारों द्वारा किया गया था जो 25 वर्षों से भी अधिक से भूमि जोत रहे थे। यद्यपि, एच ए एल ने सम्पदा को बचाने के लिए चारदीवारी के निर्माण का कार्य सौंपा था (अक्तूबर 2003) तथापि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुमति के अभाव में तथा स्थानीय ग्रामवासियों के हस्तक्षेप, आदि के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से देखा (दिसम्बर 2014) कि एच ए एल ने विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमणों के पुनर्वास को सुकर बनाने के लिए अतिक्रमणों को हटाने का मामला वर्ष 2010 में जिला प्रशासन के साथ तथा 2013 में ओडिशा सरकार के साथ उठाया था। इसके अतिरिक्त, एच ए एल बोर्ड को सितम्बर 2014 में बताया गया कि ओडिशा सरकार निष्कासन को सरल बनायेगी बशर्ते एच ए एल उनके पुनर्वास एवं रोजगार का खर्च उठाने के लिए सहमत हो। निष्कासन तथा पुनर्वास की लागत ₹4.94 करोड़ अनुमानित की गई थी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि यधपि कम्पनी द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी, एच ए एल, अतिक्रमणकारियों के निष्कासन हेतु जिला प्रशासन के साथ लगातार सम्पर्क में था तथा राज्य सरकार अतिक्रमणकारियों को पुनर्वासित करने हेतु सहमत हो गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चारदीवारी के निर्माण में समस्याओं का सामना करने के बावजूद कानूनी कार्रवाई पर विचार न करने के अतिरिक्त, एच ए एल ने अतिक्रमणों के निष्कासन में असाधारण विलम्ब किया था (2010 तक)।

4.1.2.3 भूमि का पट्टा तथा बिक्री

लेखापरीक्षा ने देखा कि 1082.215 एकड़ भूमि विभिन्न एजेंसियों को पट्टे पर दी गई थी (**संलग्नक-XI**)। भूमि के पट्टे में विसंगतियों के बारे में नीचे चर्चा की गई हैः

(i) **पट्टा विलेख का कार्यान्वयन न करना:** लेखापरीक्षा ने देखा कि एच ए एल 552.41[8] एकड़ भूमि के संबंध में पट्टा विलेख कार्यान्वयन नहीं कर सका। यद्यपि, बोर्ड ने कम्पनी के हितों की रक्षा के लिए अनुमोदित शर्तों के साथ पट्टा विलेख कार्यान्वयन करने के लिए तथा पट्टा विलेख को पंजीकृत कराने (अक्तूबर 2009) के लिए प्रबंधन को निर्देश दिया था, तथापि, डिवीजनों ने पट्टा करार कार्यान्वयन नहीं किए थे तथा पट्टा विलेख पंजीकृत नही कराए थे।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि डेस्क अधिकारी ने जून 1995 के पत्र के द्वारा विधि मंत्रालय का मत सम्प्रेषित किया गया था कि एच ए एल का स्वामित्व भारत के राष्ट्रपति का है और इसलिए रक्षा संगठनों के साथ कोई पट्टा करार नहीं किए गए थे। तथापि, उनका किराया एच ए एल द्वारा लिया जा रहा था। प्रबंधन ने यह भी कहा कि पट्टा करार इसलिए कार्यान्वयन नहीं किया जा सका कि उक्त भूमि का हस्तान्तरण/उपहार विलेख एच ए एल के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि पर एचएएल का ही स्वामित्व था और इसिलए, पट्टा विलेख कम्पनी के हितों की रक्षा करने के लिए तथा भावी कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए किए जाने थे।

8

यूनिट	पट्टे पर दिए गए कुल एकड़	पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया
बेगलूरु काम्प्लेक्स	149.081	141.0515
नासिक	890.92	400.25
हैदराबाद	2.29	2.16
कोरापुट	4.944	4.944
कानपुर	34.75	4.00
	1081.985	552.4055

(ii) **पट्टा करारों का नवीनीकरण न करनाः** नासिक तथा बेंगलूरू डिवीजनों में दिसम्बर 2014 को नवीनीकरण हेतु देय आठ[9] पट्टा करारों में से, 13.87 एकड़ भूमि के छः[10] मामलों में पट्टा विलेखों का दिसम्बर 2014 तक नवीनीकरण नही किया गया था

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि एम एस ई टी सी एल के संबंध में पट्टा विलेख पूरा कर लिया गया था तथा शेष पांच पट्टा विलेख कराने के प्रयास किए जा रहे थे।

उत्तर को इस तथ्य के विचारार्थ देखा जाना चाहिए कि पांच में से चार मामलों में पट्टा कराने विगत पांच वर्षों से लम्बित थे तथा भूमि एक मूल्यवान परिसम्पति होने के कारण, एच ए एल को भावी कानूनी अड़चनों से बचने के लिए पट्टा विलेखों का तत्काल नवीनीकरण करना चाहिए था।

(iii) **बिक्री विलेख कार्यान्वयन करनाः** एच ए एल ने 1972 से 2006 की अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों को 218.719 एकड भूमि बेची। यद्यपि संलग्नक XIV में संदर्भित 13 मामलों में भूमि बेच दी गई थी, तथापि, एच ए एल ने बिक्री विलेख कार्यान्वयन नहीं किया।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि डेस्क अधिकारी ने अपने जून 1995 के पत्र के द्वारा कानून मंत्रालय का यह मत सम्प्रेषित किया था कि एच ए एल का स्वामित्व सैद्धान्तिक रूप से भारत के राष्ट्रपति का है और इसलिए ऐसी किसी भूमि की बिक्री नहीं हुई थी जो राष्ट्रपति के स्वामित्व में हो।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि एच ए एल की है और इस प्रकार, कम्पनी के हितों की कानूनी विवादों से रक्षा करने के लिए बिक्री विलेख कार्यान्वयन करना अनिवार्य था।

---

9 एन ए एल, महाराष्ट्र राज्य. पुलिस, डाक विभाग, मै. डी टी एल, एम एस ई टी सी एल, एस बी आई, पी एन बी तथा मन्दिर समिति

10 एन ए एल, महाराष्ट्र राज्य पुलिस, डाक विभाग, मैं. डी टी एल, एम एस ई टी सी एल तथा मन्दिर समिति

4.1.2.4 वृद्धि की शर्त शामिल न करना

लेखापरीक्षा ने देखा कि एच ए एल ने पांच से 30 वर्षों तक की अवधि के लिए भूमि पट्टे पर दी और इसी अवधि के लिए नवीनीकरण किया। तथापि, समस्त पट्टा अवधि के दौरान पट्टा किराया स्थिर रहा क्योंकि पट्टा विलेख में स्फीति का ध्यान रखने के लिए वृद्धि की शर्त शामिल नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि (दिसम्बर 2014) कि संयुक्त उद्यम कम्पनी (हेटसऑफ) को भूमि के पट्टे के मामले में किराया, पंजीकृत मूल्यांकक की ओर से (जुलाई 2008) यह कहते हुए घटा दिया गया था कि एच ए एल पर हवाई अड्डा बन्द हो गया था और परिणामतः इस क्षेत्र में भूमि का मूल्य घट गया था। इसके अतिरिक्त, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन (आई ओ सी), जल आपूर्ति एवं मलजल बोर्ड तथा तीन जे वी सी[11] के साथ किए गए पट्टों में एच ए एल ने बिना किसी औचित्य के पट्टाधारियों के अनुरोध पर पट्टा किराया घटा दिया था/विलम्बित बन्द कर दिया था।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि सरकारी मूल्यांकक द्वारा सुझाए गए मूल्य के अनुसार जे वी सी का किराया प्रचलित बाजार दर पर नियत किया गया था। इनमे से कुछ जे वी सी ने तय किए किराए के लिए अनुरोध किया था, क्योंकि उनके व्यापार मॉडयूल वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे थे, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

तथ्य यह है कि जे वी सी तथा आई ओ सी वाणिज्यिक सत्तव है तथा एच ए एल ने इन संगठनों के लिए पट्टा किराया नियत करते समय अपने हितों की रक्षा नहीं की।

4.1.2.5 भूमि मेनुअल का न होना

एच ए एल ने भूमि की बिक्री/पट्टे के मामलों को निपटाने के लिए मार्च 1987 (पट्टा), अप्रैल 1996 (पट्टा/बिक्री) तथा दिसम्बर 1998 (मार्च 1987 के परिपत्र में संशोधन) में तीन परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए।

---

[11] हेटसऑफः इंटरनेशनल एयरोस्पेस मेन्युफेक्चिंरंग प्राईवेट लिमिटेडः एच ए एल-एजवुड टेक्नालोजीज प्राइवेट लिमिटेड तथा बीए ई एच ए एल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

लेखापरीक्षा ने देखा कि हालांकि एच ए एल 1942 से भूमि का अधिग्रहण कर रही थी, तो भी उसने अपने चारों और नागरिक अवसंरचना के विकास के संदर्भ में अपने पास उपलब्ध भूमि की विद्यमान सुविधाओं और उपयुक्तता की पर्याप्तता की तुलना में क्रियात्मक तथा गैर-क्रियात्मक दोनों आवश्यकताओं के लिए दीर्घावधि विकास को शामिल करते हुए कोई व्यापक भूमि मेनुअल नहीं बनाया था।

एच ए एल के उत्तर दिया (मार्च 2015) कि भूमि मेनुअल बनाने पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि वह संविधि के अनुसार अनिवार्य नहीं था तथा व्यापक दिशानिर्देश पहले से ही उपलब्ध थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशानिर्देश केवल आवश्यकता आधारित थे और इस प्रकार वो एच ए एल के पास उपलब्ध व्यापक भूमि को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक मेनुअल का स्थान नहीं ले सकते।

4.1.2.6 भूमि अभिलेखों का डिजिटाईजेशन न होना

एच ए एल ने भूमि तथा सम्पदा अभिलेखों अर्थात निर्णय प्रतियों के लगभग 3000 पृष्ठ तथा अन्य अधिसूचनाओं को एक फायर-प्रूफ केबिन में सुरक्षित रखा था। समय के बीतने के साथ तथा उनके इस्तेमाल से, इन कागज़ के दस्तावेजों, नक्शों आदि के खराब होने का डर था क्योंकि केवल थोडी सी निर्णय प्रतियों की ही माइक्रोफिल्मड कराई गई थी।

लेखापरीक्षा ने 1985 के सार-संग्रह से देखा (दिसम्बर 2014) कि सम्पदा विभाग में 40 साल पुराने अभिलेख और फाईलें थी, जो आवश्यक थी तथा भूमि रजिस्टरों को फिर से लिखने की सिफारिश की गई थी। तथापि, एच ए एल अभिलेख का हस्त्य रूप से ही अनुरक्षित कर रही थी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि दस्तावेज फायरप्रूफ अलमारियों में सुरक्षित रखे गए थे तथा अभिलेखों का डिज़िटाईज़ेशन निविदाकरण की अवस्था मे था।

तथ्य यह है कि सार-संग्रह (1985) में विशिष्ट सिफारिश के 30 वर्ष पश्चात् भी, एच ए एल ने इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए बस कार्रवाई ही शुरू की थी।

4.1.3 निष्कर्ष

1985 में एच ए एल द्वारा बनाए गए भूमि जोत सार-संग्रह के अनुसार भूमि जोत की तुलना में, एच ए एल के पास उपलब्ध निर्णय प्रतियों तथा विनिवेश हेतु बनाए गए डॉटा में कई विसंगतियों का पता चला। एच ए एल ने उस भूमि का अधिग्रहण किया जिस पर पहले से ही अतिक्रमण था अतिक्रमण हटाने में विफल रही। पट्टा करार कार्यान्वयन और पंजीकृत नहीं किए गए थे। इसी प्रकार, बिक्री विलेख कार्यान्वयन नहीं किए गए थे हालांकि भूमि बेच दी गई थी। जेवीसीज तथा वाणिज्यिक संगठनों के लिए भी पट्टा किराया नाम-मात्र दरों पर नियत किया गया था। एचएएल ने क्रियात्मक तथा गैर-क्रियात्मक दोनों आवश्यकताओं के लिए दीर्धावधि विकास योजनाओं को शामिल करते हुए एक व्यापक भूमि मेनुअल नहीं बनाया। कम्पनी महत्वपूर्ण अभिलेखों हस्त्य रूप से अनुरक्षण कर रही थी।

4.2 हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश

एच ए एल द्वारा निर्मित पांच जे वी सी अधिप्रेत उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहीं जिसके लिए वे बनाई गईं। 11 जेवीसी में ₹225.14 करोड़ के निवेश के विरूद्ध पांच जे वी सी के संबंध में ₹49.90 करोड़ की राशि के निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान किया गया। एक जे वी सी बनाने के बाद, शेयरधारित पद्धति बदल दी गई जिसके द्वारा दूसरे जे वी सी साझीदार ने जे वी सी में अप्रत्यक्ष रूप से बहुमत नियंत्रण प्राप्त कर लिया जो एम ओ डी के अनुमोदन के विरूद्ध था। एच ए एल लाइसेंस की लागत निर्धारित ने करने के कारण जे वी सी के हितों की रक्षा करने में विफल रही जिसके कारण ₹10.93 करोड़ की हानि हुई। ₹5.12 करोड़ की राशि का पट्टा किराया दो जे वी सी से वसूली हेतु लम्बित था।

4.2.1 प्रस्तावना

एचएएल ने अपनी प्रचालनात्मक रणनीति तथा जोखिम बँटवारे के भाग के रूप में नई प्रौद्योगिकियों तथा उत्पाद एवं सेवाओं के विकास को सरल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर विकास, वैमानिकी उत्पादों का प्रचालन एवं अनुरक्षण, निर्माण एवं ट्रैडिंग, वैमानिकी एवं सिमुलेटर, डिजाईन एवं विकास के क्षेत्र में 11 संयुक्त उद्यम

कम्पनियां (जे वी सी) बनाई थी। जे वी सी के संबंध में विवरण **संलग्नक-XV** में दिए गए हैं।

4.2.2 जे वी सी का निष्पादन

31 मार्च 2014 को तीन[12] जे वी सी लाभ कमा रही थी, एक[13] जे वी सी को अभी वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना था तथा शेष सात[14] जे वी सी ने हानि संचित की थी। 11 जे वी सी में ₹225.14 करोड़ के लिए निवेश के विरूद्ध, एच ए एल ने वर्ष 2013-14 के लिए अपने वार्षिक लेखाओं में पांच[15] जे वी सी में किए गए ₹49.90 करोड़ की राशि के निवेश के मूल्य को कम करने का पहले ही प्रावाधन कर लिया है। प्रदत पूंजी, एच ए एल के हिस्से, संचित लाभ/हानि तथा प्रदत कमी के विवरण **संलग्नक-XVI** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने जे वी सी की उत्पति को शामिल करने के अतिरिक्त 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 11 जेवीसी के साथ एच ए एल का लेन-देन शामिल यह भी पता लगाने के लिए किया कि क्या जे वी सी बनाते वक्त अपेक्षा का अनुपालन किया गया, जे वी सी के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए, जे वी सी के साथ डील करते समय एच ए एल ने अपने हितों की रक्षा की, तथा शेयरधारकों के करार तथा अन्य विनियमों का अनुपालन मॉनीटर और सुनिश्चित करने के लिए समुचित तन्त्र विद्यमान था।

---

[12] बी ए ई एच ए एल, स्नेकमा एवं आई आर ए एल

[13] एम टी ए एल

[14] एस ए एम टी ई एल, एच ए एल बी आई टी, एच ई टी एल, इनफोटेक, हेटसॉफ, टाटा एच ए एल एवं आई ए एम पी एल

[15] एच ए एल बी आई टी, एच ई टी एल, इनफोटेक, हेटसॉफ, तथा टाटा एच ए एल

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

4.2.2.1 जे वी सी बनाने के लिए अपेक्षाओं का अनुपालन

(क) जे वी सी भागीदार के चुनाव तथा जे वी सी बनाने में व्यावसायिक सेवाओं का लाभ उठाने में असफलता

डी पी ई दिशानिर्देशों (जुलाई 1997/जनवरी 2000) अपेक्षा करना था कि प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के लिए प्रस्ताव निदेशक बोर्ड को अनुमानित परिणामों तथा लाभों के संगत कारकों तथा परिमात्रा के विश्लेषण के साथ लिखित में तथा समुचित रूप से अग्रिम में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। वह आगे भी अपेक्षा किया कि जोखिम कारक, यदि कोई हो, पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिए जाने चाहिए तथा सभी प्रस्ताव, जहां वे पूंजीगत व्यय, निवेश अथवा पर्याप्त वित्तीय अथवा प्रबंधकीय प्रतिबद्धताओं से निहित अन्य मामलों से संबंधित हो, व्यावसायिकों तथा विशेषज्ञों की सहायता से या उनके द्वारा तैयार किए जाने चाहिएं तथा अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले वित्तीय संगठनों अथवा ख्याति प्राप्त व्यावसायिक संगठनों द्वारा आंके जाने चाहिए। वित्तीय मूल्यांकन अधिमानतः ऋणों अथवा इक्विटी भागीदारी के माध्यम से मूल्यांकन संस्थाओं की भागीदारी द्वारा समर्थित भी होना चाहिए। एच ए एल ने उक्त दिशानिर्देशों के पश्चात् नौ जे वी सी बनाए। लेखापरीक्षा ने देखा कि एच ए एल ने संबंधित क्षेत्रों में विशेषगता वाले किसी व्यावसायिक संगठन की सेवाओं का लाभ नहीं उठाया था।

एच ए एल ने कहा (मार्च 2015) कि प्रस्तावों की संगत क्षेत्र में इन-हाऊस विशेषज्ञता द्वारा विधिवत समीक्षा की गई तथा बोर्ड के अनुमोदन के बाद उन्हें अन्तिम रूप दिया गया।

तथ्य यह है कि डी पी ई दिशानिर्देशों में किए गए प्रावधान के अनुसार जे वी सी करारों में प्रवेश करने से पूर्व किसी बाह्य व्यावसायिक विशेषज्ञों की सेवाओं के ने लेने के कारण सात जे वी सी के निष्पादन पर असर पड़ा था जिन्होंने हानियां संचित की थी तथा पांच जे वी सी में कमी का प्रावधान किया गया था जिसकी चर्चा ऊपर की गई है।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन न करना।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 297 में यह प्रावधान है कि एक कम्पनी, सामग्री की बिक्री, खरीद अथवा आपूर्ति के लिए निजी कम्पनी के साथ अनुबंध नहीं करेगी. जिनमें कम्पनी के निदेशकों में से एक निदेशक हो। आगे, ऐसी कम्पनी के मामले में जिसकी प्रदत पूंजी ₹1 करोड़ से कम न हो, ऐसे लेन-देन के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित है। तथापि, यह देखा गया कि दो जे वी सी अर्थात एच ई टी ए तथा हैटसॉफ के संबंध में बिक्री/सेवा के लिए मार्च 2008 में अनुबंध करने से पहले एच ए एल बोर्ड तथा भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था हालांकि एच ए एल के निदेशकों में से एक उस समय जे वी सी में भी निदेशक था। लेखापरीक्षा ने देखा किः

- एच ए एल के जुलाई 2009 में 18 महीने बाद एच ई टी ए के साथ अनुबंध करने के लिए बोर्ड की कार्योत्तर अनुमोदन तथा सितम्बर 2009 में भारत सरकार का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया।

- हैटसॉफ के साथ अनुबंध के संबंध में, एच ए एल बोर्ड को केवल मार्च 2012 में अर्थात 4 वर्ष बाद सूचित किया गया।

एच ए एल ने कहा (मार्च 2015) कि जहां तक हैटसॉफ का संबंध है, व्यापार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ एच ए एल से कॉकपिट लेने का प्रावधान निहित था तथा हेलिकॉप्टर डिवीजन के साथ आपूर्ति करार करने के लिए भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 297 के अन्तर्गत बोर्ड का पुनः अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तथापि, बोर्ड को उपर्युक्त लेन देन के बारे में सूचित किया गया (मार्च 2012)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच ए एल को प्रदत्त पूंजी ₹1 करोड़ से अधिक थी तथा इस प्रकार के लेन-देन हेतु केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य था जैसा कि कंपनी एक्ट में विनिर्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक योजना की बताई रणनीति, निर्धारित नहीं थी तथा इस प्रकार, कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अनुबंधों से पूर्व बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक था। एच ई टी एल के सम्बन्ध में उत्तर में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

(ग) जे वी सी के निष्पादन की समग्र मॉनीटरिंग

सयुंक्त उद्यमों तथा साझीदारों के उद्देश्यों की प्राप्ति के पीछे सफलता का एक मुख्य कारक नियामित रूप से गठबंधन की प्रगति की मॉनीटरिंग है। अपर्याप्त मॉनीटरिंग के कारण राजस्व की हानि/संयुक्त उद्यम में किए गए निवेश पर प्रतिफल हुआ तथा साझीदारों को अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। डीपीई दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान था (अक्तूबर 1997) कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी एस ई) बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की स्थापना सहित आन्तरिक नियंत्रण की पारदर्शी तथा प्रभावी मॉनीटरिंग स्थापित करेगी।

एच ए एल बोर्ड (2007-08 से 2013-14) तथा लेखापरीक्षा समिति के कार्यक्रम तथा कार्यवृत्त की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि उनके मीटिंग में जे वी सी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बोर्ड/एच ए एल की लेखापरीक्षा समिति के ध्यान में नहीं लाए गए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

- लेखापरीक्षा समिति ने जे वी सी को एकल निविदा के आधार पर ही दिए गए आदेशों की समीक्षा की, उसने जे वी सी से संबंधित किन्हीं अन्य क्रियाकलापों का निरीक्षण/मानीटरिंग नहीं थी।

- बोर्ड ने इनफोटेक एच ए एल लिमिटेड (एक जे वी सी की प्रस्तावित कारोबार योजना पर विचार करने के पश्चात् सुझाव दिया (फरवरी 2007) कि भविष्य में, प्रस्तावित जेवी साझीदार का एस डब्ल्यू ओ टी विश्लेषण किया जाए तथा उक्त प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किया जाए। तथापि, छः जे वी सी के संबंध में बोर्ड को कोई ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया जो बोर्ड के सुझाव के बाद बनाई गई थी।

- बोर्ड ने जे वी सी की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए तथा बेहतर मॉनीटरिंग के लिए वर्किंग ग्रुप द्वारा एच ए एल बोर्ड को अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का सुझाव दिया (अप्रैल 2007)। लेखापरीक्षा ने देखा कि जे वी सी का निष्पादन नियमित रूप से बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया।

- एच ए एल के कार्पोरेट कार्यालय ने संबंधित पार्टियों पर प्रकटीरण के संबंध में कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन, हेतु उन मामलों के प्रकटीरण/अनुमोदन जहां निदेशक का हित अन्तर्ग्रस्त था तथा किन्हीं अन्य सांविधिक

प्रावधानों के लिए नोडल ए जे सी बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए (अगस्त 2009)। एच ए एल को अभी (मार्च 2015) नोडल एजेंसी की स्थापना करनी थी।

एच ए एल ने कहा (मार्च 2015) कि अनुमानित लाभों, व्यापार सम्भावना आदि के रूप में विश्लेषण साझीदारों के चयन हेतु जे वी सी के संबंध में किया गया था। एच ए एल की एक लेखापरीक्षा समिति थी जो एकल निविदा आधार पर आदेश देने की समीक्षा करती थी तथा सभी संबद्ध पार्टी लेन-देन कार्पोरेट दिशानिर्देशों के आधार पर लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किए गए। एच ए एल ने यह भी कहा कि जे वी सी की निष्पादन मासिक आधार पर मॉनीटर किया गया और रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत की गई। उसने यह भी कहा कि जे वी सी साझीदारों के प्रतिनिधि जे वी सी को मॉनीटर करते हैं और उन पर नियंत्रण करते हैं।

तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा समिति जे वी सी से संबंधित किसी अन्य क्रियाकलापों का निरीक्षण/मॉनीटर नहीं करती थीं जैसा कि डी पी ई दिशानिर्देशों में निर्धारित है बोर्ड को प्रस्तुत करने से संबंधित उत्तर तथ्यपूर्ण नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी।

4.2.3 जे वी सी के अभिप्रेत उद्देश्यों की उपलब्धि की स्थिति

लेखापरीक्षा ने इस बात की समीक्षा की कि क्या वे उद्देश्य जिनके लिए जे वी सी बनाई गई प्राप्त कर लिए गए और यह देखा गया कि पांच जे वी सी ने वे उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जिनके लिए उनका गठन किया गया। अलग-अलग मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

4.2.3.1 बी ए ई एच ए एल सॉफ्टवेयर लिमिटेड

जे वी सी, ब्रिटिश एयरोस्पेस पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, यू के (बी ए ई) (49 प्रतिशत) तथा एच ए एल (40 प्रतिशत) के सहयोग से बनाई गई (फरवरी 1993)। शेष 11 प्रतिशत वर्तमान में (अगस्त 2015) बी ए ई एच ए एल कर्मचारी कल्याण न्यास के पास है।

ई ओ यू स्थिति का पालन न करना

यह जे वी सी कम्पयूटर सॉफ्टवेयर के विकास और विपणन के लिए 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई (ई ओ यू) के रूप में बनाई गई थी जो एच ए एल के प्रमुख कारोबार से संबंधित नहीं थी। जे वी सी को बनाने का प्रस्ताव एम ओ डी को प्रस्तुत करते समय, एच ए एल ने कहा (1991) कि विदेशी विनियम आय के माध्यम से लाभ होंगे क्योंकि जे वी सी 100 प्रतिशत ई ओ यू थी तथा जे वी सी के उद्देश्य उच्च प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर की बढती हुई अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में संकालन करना था लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्यात बिक्री जो 2003-04 तक कुल टर्नओवर के 90 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत के बीच थी, 2004-05 से घटकर कुल टर्नओवर के 50 प्रतिशत से भी कम हो गई। यह भी देखा गया कि घरेलू बिक्री कुल बिक्री का 63 प्रतिशत थी। एच ए एल को जे वी सी की बिक्री 2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री का 87 प्रतिशत थी। इसलिए एच ए एल अप्रत्यक्ष रूप से एक लघु शेयरधारक होने के बावजूद, जैसा कि पैरा 4.2.7.1 में बताया गया है, जे वी सी की अनावश्यक सहायता कर रहा था। कम निर्यात टर्नओवर के साथ, जे वी सी, प्रगतिशील अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचालन का उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रही।

एच ए एल ने कहा (फरवरी 2015) कि नियमों के अनुसार, ई ओ यू कम्पनी का घरेलू बिक्री का अनुमत स्तर हो सकता है तथा जे वी सी का निर्यात सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क ऑफ इण्डिया को दिए गए कानूनी वचन के अनुसार अपेक्षा/दायित्व को संतुष्ट करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विदेशी व्यापार नीति 2004-09 और 2009-14 में यह प्रावधान है कि ई ओ यू इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पाक्रर्स साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पाक्रर्स का समस्त उत्पादन इस शर्त पर निर्यात किया जाएगा कि सॉफ्टवेयर इकाईयों सहित माल और सेवाओं के लिए, ऑन लाईन डॉटा संचार सहित, किसी भी प्रकार से डी टी ए में बिक्री निर्यात के एफ ओ बी मूल्य के 50 प्रतिशत/या अर्जित विदेशी विनिमय के 50 प्रतिशत तक, जहां ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी विनिमय (एफ ई) में प्राप्त किया जाता है, अनुमत होगी। तथापि, इसे जे वी सी द्वारा पूरा नहीं किया गया क्योंकि घरेलू बिक्री 2004-05 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान कुल बिक्री का 63 प्रतिशत थी। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत जे वी सी ने अनुमत सीमा से अधिक डी टी ए में

बिक्री करके उपर्युक्त नियम का उल्लंघन किया है। इस प्रकार, यद्यपि एच ए एल ने इस क्षेत्र में प्रचालन हेतु जे वी सी की स्थापना की जो एच ए एल के प्रमुख कारोबार से संबंधित नहीं था, जे वी सी का मुख्य उद्देश्य अर्थात विदेशी विनिमय आय के माध्यम से लाभ कमाना, जे वी सी की कम निर्यात टर्नओवर के कारण प्राप्त नहीं किया गया।

4.2.3.2 एच ए एल एजवुड टेक्नॉलोजीज प्रा.लि. (एच ई टी एल)

जे वी सी का गठन हवाई प्रयोग के लिए 3 डी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों के विकास और निर्माण हेतु एच ए एल, मै. एजवुड वेंचर्स, एल एल सी (सीमित देयता कम्पनी), कैलिफोर्निया, यूएसए (एजवुड) तथा मै. एजवुज टेक्नॉलोजीज प्रा. लि. (एजटेक) बेंगलूरू के साथ क्रमशः 50:26:24 के अनुपात में किया गया था (अप्रैल 2007)। जे वी सी से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियां निम्न प्रकार से है।

i) **अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति न होनाः** यद्यपि बोर्ड ने इच्छा व्यक्त की थी कि एजवुड तथा एजटेक (क्रमशः नवम्बर 2005 तथा अप्रैल 2006 में गठित) की रूपरेखा, उनकी वित्तीय तथा तकनीकी क्षमताओं को दर्शाते हुए तथा जे वी सी को प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु फ्रांस सरकार के अनुमोदन से संबंधित पुष्टि प्रस्तुत की जाए, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस आधार पर कोई वित्तीय तथा तकनीकी विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे कि राजस्व, एजवुड की बहियों में नहीं दर्शाए गए थे क्योंकि यह एक सीमित देयता कम्पनी थी। लेखापरीक्षा ने जे वी सी के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान करने वाली एच ए एल बोर्ड टिप्पणी से यह भी देखा कि 3 डी प्रौद्योगिकी 3 डी प्लस फ्रांस (एजवुड की एक सहायक कम्पनी) द्वारा पेटेन्ट की गई तथा जे वी सी 3 डी प्लस के साथ करार करेगी। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए जे वी सी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसारः

- जे वी सी ने प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु 3 डी प्लस के साथ एक करार किया (दिसम्बर 2007) तथा 3 डी प्लस को ₹1.17 करोड़ के टी ओ टी शुल्क का भुगतान किया तथा परियोजना पर परामर्श शुल्क के प्रति ₹0.55 करोड़ का व्यय भी किया।

- चूंकि करार में निर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए कोई समय-सीमा निहित नहीं थी, अतः जे वी सी ने अधिकतम 31 दिसम्बर 2012 जमा अतिरिक्त छः महीने तक निर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए सहमति व्यक्त करते हुए 3 डी प्लस के साथ एक संशोधन विलेख किया (मार्च 2011)। तथापि, जे वी सी ने संशोधन विलेख में सहमत तिथि के अन्दर अपेक्षित निर्माण सुविधाओं की स्थापाना नहीं की।

- 3 डी प्लस ने जे वी सी को लाइसेंस करार को रद्द करने का नोटिस भेजा (मई 2013) तथा जे वी सी द्वारा प्राप्त 3 डी प्लस की समस्त गोपनीय सूचना के प्रयोग को बन्द करने की मांग की।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से देखा (दिसम्बर 2014) कि जे वी सी, लाइसेंस की शर्तों पर फिर से बातचीत करने के लिए 3 डी प्लस के साथ चर्चा की प्रक्रिया में थी।

इसलिए, जे वी सी के गठन का मुख्य उद्देश्य अर्थात हवाई प्रयोग के लिए 3 डी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों का विकास और निर्माण, जे वी सी द्वारा सुविधाओं के गठन न किए जाने तथा परिणामतः साझीदार द्वारा लाइसेंस करार रद्द किए जाने के कारण प्राप्त नहीं हुआ।

एच ए एल ने उत्तर में कहा (मार्च 2015) कि साझीदार कम्पनियों के अनुभव की सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। एच ए एल ने यह भी कहा कि जे वी सी की स्थापना 3 डी प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए डिजाईन सुविधा के लिए हुई थी परन्तु बाद में इसका फोकस खुली प्रणाली वास्तुकला मिशन कम्प्यूटर (ओ एस एम ए सी) पर शिफ्ट कर दिया गया था और वर्तमान संदर्भ में, प्रौद्योगिकी तथा बाजार मांग की संगतता का निर्धारण करना था।

उत्तर पुष्टि करता है कि जे वी सी का गठन जे वी सी साझीदारों के तकनीकी तथा वित्तीय विवरण की जांच किए बिना तथा प्रौद्योगिकी और बाजार मूल्य की संगतता का निर्धारण किए बिना ही किया गया था जैसा कि डी पी ई दिशानिर्देशों में निर्धारित था।

ii) **एकल निविदा आधार पर डेरिन III अनुबंध सौंपनाः** लेखापरीक्षा ने एच ए एल की बोर्ड टिप्पणी (सितम्बर 2006) से देखा कि वर्तमान पीढ़ी के वायुयान के लिए डिजिटल मैप जेनरेटर (डी एम जी) एक अनिवार्य आवश्यकता थी और उसका आयात किया जा रहा था। समस्त भावी उन्नत तथा नए वायुयानों के लिए स्वदेशी डी एम जी की पर्याप्त मांग को ध्यान में रखते हुए, एच ए एल (बोर्ड) ने डी एम जी लगी हुई खुली प्रणाली वास्तुकला मिशन कम्प्यूटर (ओ एस ए एम सी) जो एच ए एल द्वारा वित्तीय परिव्यय ₹9.13 करोड़ के साथ निधिगत की जानी थी और जिसका संस्वीकृति की तारीख से 18 महीने (अर्थात मार्च 2008 तक) के अन्दर पूरी की जानी थी, के प्रौद्योगिकी विकास (टी डी) के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया था (सितम्बर 2006)। एच ए एल ने उनकी उद्धृत कीमत ₹1.71 करोड़ (सभी कर और शुल्क छोड़कर) पर डी एम जी लगी ओ एस ए एम सी के लिए हार्डवेयर के विकास हेतु एकल निविदा आधार पर जे वी सी को क्रय आदेश (पी ओ) दिया (मार्च 2008)। कार्य-क्षेत्र में विनिर्देशनों को अन्तिम रूप देना, प्राथमिक डिजाईन समीक्षा, इंजीनियरिंग मॉडल डिलीवरी, हार्डवेयर जांच डिलीवरी, तथा उड़ान ईकाई डिलीवरी की सुरक्षा शामिल थे। पी ओ के अनुसार, दिसम्बर 2008 की निर्धारित आपूर्ति बाद में दिसम्बर 2009 तक बढ़ा दी गई (फरवरी 2009)। तथापि, जे वी सी ने उत्पाद की आपूर्ति नहीं की (मार्च 2015).

इसी बीच, एम ओ डी ने जगुआर वायुयान के उन्नयन को आक्रमण रेंजिग तथा जड़त्वीय नौसंचालन वैमानिक (डेरिन)-III[16] तैयारी के मानक (एस ओ पी) के प्रदर्शन के लिए एच ए एल के साथ एक अनुबंध किया (दिसम्बर 2009)। अनुंबध के अनुसार, अन्तिम परिचालन अनुमति (एफ ओ सी) जून 2013 तक प्राप्त की जानी थी। ओ एस ए एम सी, डेरिन-III का भाग थी।

ओ एस ए एम सी के प्रौद्योगिकी विकास के पूर्णता से पूर्व ही, एच ए एल ने ₹12.63 करोड़ पर डेरिन-III हेतु प्रोटोटाईप विकास के लिए 11 मिशन कम्प्यूटरों तथा

---

[16] डेरिन III, अतिरिक्त कारकों जैसे मल्टीमोड ई एल टी ए रडार, डयूल एस एम डी तथा ई एफ आई एस सहित ग्लास कॉकपिट, खुली प्रणाली वास्तुकला मिशन कम्प्यूटर, सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग प्रणाली तथा डिसप्ले तथा डॉटा हैंडलिंग से संबंधित अतिरिक्त कार्यात्मकताओं सहित डेरिन II का संशोधित रूपान्तर होगा।

सम्पूर्ण योग्यता जांच एवं प्रमाणन (क्यू टी एवं सी) के लिए एकल निविदा आधार पर जे वी सी को मार्च 2012 तक आपूर्त किये जाने हेतु एक और आदेश दिया (जुलाई 2010)।

जे वी सी से ओ एस ए एम सी हार्डवेयर यूनिट की अनुपलब्धता के कारण, एच ए एल के मिशन एवं कॉम्बैट प्रणाली अनुसंधान एवं डिजाईन केन्द्र (एम सी एस आर डी सी) डिवीजन ने ₹8.60 करोड़ की लागत पर रक्षा वैमानिकी अनुसंधान स्थापना (डी ए आर ई) डी आर डी ओ से डेरिन-II कार्यक्रम के लिए छः मिशन कम्प्यूटरों के वैकल्पिक विकास हेतु प्रस्तावित किया (जून 2013)।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2014) कि अक्तूबर 2013 में जे वी सी द्वारा केवल तीन यूनिट डिलीवर किए गए। प्रोटोटाईप यूनिटों का विकास डी ए आर ई पर प्रगतिधीन था (दिसम्बर 2014)।

एच ए एल ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि

- जे वी सी साझीदार एजवुड ने यू एस ए में अपनी कम्पनियों के माध्यम से कई उत्पाद विकसित किए थे तथा जे वी सी को परियोजना सौंपना लचीले उन्नयन/प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी तथा सोर्स कोड्स के माध्यम से एच ए एल के लिए हितकर होगा।

- जे वी सी को इस आदेश के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि उसके अध्यक्ष को वैमानिकी डोमेन उत्पादों के डिजाईन और विकास में अच्छा अनुभव था और इससे उत्पाद के विकास में काफी सहायता होगी। उसने यह भी कहा कि ओ एस ए एम सी की आपूर्ति इंजीनियरिंग यूनिट तथा उड़ानों की सुरक्षा जांच (एस ओ एफ) की प्रगति द्वारा सृजित विश्वास के मद्देनजर, एच ए एल ने बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् जे वी सी को दूसरा आदेश दिया।

- ओ एस ए एम सी विकास में अत्यधिक गहन तथा जटिल प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त थी, विकास के दौरान उठने वाले तकनीकी मुद्दों का चरणबद्ध ढ़ंग में समाधान किया जा रहा था तथा ओ एस ए एम सी के विकास हेतु जोखिम कम करने की योजना के रूप में कार्रवाई की गयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जे वी सी ने डी एम जी लगी ओ एस ए एम सी के लिए हार्डवेयर की आपूर्ति नहीं किया था (मार्च 2015)। लेखापरीक्षा ने देखा कि गुणवत्ता लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[17] ने परियोजना के संचालन हेतु अपर्याप्त विशेषज्ञों, आन्तरिक जांच सुविधाओं के लिए अवसंरचना के अभाव, अनुमोदित ऑटोमेटेड जांच उपकरण तथा हार्डवेयर डिजाईन, निर्माण तथा असेम्बली, आदि की आऊटसोर्सिंग की अनुलब्धता की ओर संकेत किया था।

तथ्य यह है कि कार्य सौंपने से पूर्व उपलब्ध बुनियादी ढांचे तथा जे वी सी की तकनीकी सीमाओं का निर्धारण न करने के कारण, डेरिन-III परियोजना की एफ ओ सी प्राप्त नहीं की गई थी (मार्च 2015) हालांकि निर्धारित तिथि जून 2013 थी।

iii) **जे वी सी से बकाया राशिः** जे वी सी से निम्नलिखित के प्रति ₹8.26 करोड़ की राशि बकाया थीः

क) एच ए एल बोर्ड ने ₹2.31 लाख प्रति मास के किराए पर एच ए एल मुख्य फैक्ट्री परिसर पर स्थित जे वी सी को 6780 वर्ग फुट भूमि का आबंटन अनुमोदित किया (जुलाई 2009)। सितम्बर 2008 से आगे जे वी सी ने किराए के भुगतान में चूक कर दी थी तथा जुलाई 2014 तक जे वी सी से किराए के प्रति वसूली योग्य राशि ₹2.21 करोड़ हो गई (मार्च 2015)

ख) लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ओ एस ए एम सी अनुबंध के लिए मई 2008 से जनवरी 2014 के बीच जे वी सी को संस्वीकृति किए गए असमायोजित अग्रिम ₹5.97 करोड़ की राशि अभी लम्बित थी (मार्च 2015)।

ग) एच ए एल ने भुगतान आधार पर एच ई टी एल को इंजीनियर प्रतिनियुक्त किये क्योंकि एच ई टी एल के इंजीनियरिंग स्त्रोत बहुत कम हो गए। एच ए एल द्वारा नियुक्त इंजीनियरों के वेतन से संबंधित ₹82.14 लाख की राशि भी जे वी सी से वसूली हेतु लम्बित थी (मार्च 2015)।

---

[17] एच ए एल द्वारा गठित (मार्च 2012) दल जिसमें सेना हवाई योग्यता तथा प्रमाणीकरण केन्द्र (सी ई एम आई एल एसी), एच ए एल, महानिदेशक विमान की गुणवता आश्वासन (डी जी एक्यू ए), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल) तथा डी ए आर ई के प्रतिनिधि शामिल थे, द्वारा मई 2012 में शुरू की गई।

एच ए एल ने कहा (मार्च 2015) कि यद्यपि आपूर्तियों देय थीं, तथापि, जे वी सी आपूर्ति नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास नकदी की कमी थी और वह जे वी सी से बकाया राशि पर लेखापरीक्षा टिप्पणी से सहमत थी।

तथ्य यह है कि एच ए एल ने ओ एस ए एम सी को अनुबंध सौंपने से पूर्व जे वी सी की तकनीकी तथा वित्तीय सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा। जे वी सी द्वारा ओ एस ए एम सी परियोजना के आपूर्ति कार्यक्रम का पालन न करने के कारण, डेरिन-III कार्यक्रम प्रभावित हुआ तथा एच ए एल की निधियां अवरूद्ध हुईं।

4.2.4 एच ए एल बी आई टी वैमानिकी प्राईवेट लिमिटेड (हेलबिट)

4.2.4.1 जे वी सी द्वारा ई एफ आई एस की आपूर्ति

जे वी सी का गठन हवाई वैमानिकी उत्पादों तथा प्रणालियों के विपणन, डिजाईनिंग तथा एकीकरण के लिए एच ए एल (50 प्रतिशत), एलबिट सिस्टम्स लिमिटेड, इसरायल (26 प्रतिशत) तथा मेरलिनहॉक एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड, बेंगलूरू (24 प्रतिशत) की इक्विटी भागीदारी के साथ किया गया (मई 2007)। एच ए एल ने विकास चरण के भाग के रूप में जे वी सी[18] को ₹8.94 करोड़ की लागत पर इंजन एवं उड़ान यंत्र विन्यास प्रणाली (ई एफ आई एस) के तीन यूनिटों हेतु आदेश दिया (सितम्बर 2011) जिनकी आपूर्ति अक्तूबर 2012 तक की जानी थी। डेरिन-III कार्यक्रम के लिए ई एफ आई एस की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से देखा कि जे वी सी ने नवम्बर 2014 तक तीन यूनिट आपूर्ति किए जिनमें कुछ तकनीकी खराबियां थीं जैसे गति की स्थितियों के दौरान एयर डेटा एट्टीट्यूड एण्डे हेडिंग रेफरेंस प्रणाली (ए डी ए एच आर एस) का खराब निष्पादन। लेखापरीक्षा ने आगे जून 2014 में हुई जगुआर डेरिन-III उन्नत कार्यक्रम की बैठकों के कार्यवृत्त से देखा कि यह निश्चित किया गया कि वैकल्पिक ई एफ आई एस प्रणाली, यदि कोई हो, तो शीघ्रतिशीघ्र उसकी पहचान तथा एकीकृत की जानी चाहिए।

एच ए एल ने कहा (मार्च 2015) कि ए डी एच आर एस रिग जांच के दौरान तो निष्पादन कर रही थी परन्तु वायुयान उड़ान जांच के दौरान परिणाम बरदाश्त से बाहर

---

[18] एकल निविदा आधार पर

थे। उड़ान परीक्षण, विस्तृत निष्पादन मूल्यांकन हेतु चालू थे। एच ए एल ने यह भी कहा कि यद्यपि प्रगति अच्छी नहीं थी, तथापि हल निकल रहे थे और इसलिए जे वी सी के साथ कार्य की प्रक्रिया बन्द नहीं की गई।

तथ्य यह है कि जे वी सी को बिना किसी पूर्व अनुभव के डेरिन-III उन्नत जैसे एक समयबद्ध कार्यक्रम के लिए एकल निविदा आधार पर आदेश देना उचित नहीं था। जे वी सी द्वारा यूनिटों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण, डेरिन-III परियोजना की एफ ओ सी प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2015) हालांकि उसकी निर्धारित तिथि जून 2013 थी।

4.2.5 हैट्सॉफ हेलिकॉप्टर ट्रैनिंग लिमिटेड (हैट्सॉफ)

जे वी सी का गठन सेना तथा नागरिक हेलिकॉप्टर पॉयलट उड़ान प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने तथा उनके विपणऩ के लिए एच ए एल (50 प्रतिशत) तथा मै. केनेडियन एयरोस्पेस इलेक्टॉनिक्स इंक (सी ए ई) (50 प्रतिशत) की इक्विटी भागीदारी के साथ किया गया था (जनवरी 2008)। लेखा परीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

4.2.5.1 सुविधाओं के प्रयोग हेतु प्रतिबद्धता प्राप्त न करनाः

कारोबार योजना के अनुसार, एच ए एल को समस्त संबंधित आधार अवसंरचना, ध्रुव[19] की तीन किस्मों (थलसेना-आई ए एफ, नौसेना-तटरक्षक तथा नागरिक किस्मों) के लिए ढांचा तथा कॉकपिट्स के साथ भूमि, भवन उपलब्ध कराना अपेक्षित था। परियोजना 'हैट्सॉफ' (उड़ान के सिमुलेशन द्वारा प्रशिक्षण देने वाली हेलिकॉप्टर अकदामी) के लिए प्रस्ताव को सैद्धान्तिक अनुमोदन (जुलाई 2006) प्रदान करते समय, एच ए एल बोर्ड ने सिमुलेटर सुविधा का प्रयोग करने के लिए निश्चित तथा दीर्घावधि प्रतिबद्धताओं के लिए सेवाओं (आई ए एफ, थलसेना तथा नौसेना) तथा अन्य ऑपरेटरों के साथ काम शुरू करने का निर्णय लिया। लेखापरीक्षा ने एच ए एल बोर्ड टिप्पणी (जुलाई 2007) से देखा कि जबकि भारतीय नौसेना इन सुविधाओं के प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध थी, भारतीय नौसेना तथा वायु सेना से कोई प्रतिबद्धताएं प्राप्त नहीं हुईं। जे वी सी की कारोबार योजना में नौसेना से 18.97 प्रतिशत के कारोबार तथा थल सेना एवं वायु सेना सिमुलेटरों से

---

[19] उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर

60.85 प्रतिशत कारोबार का अनुमान था। यद्यपि थल सेना तथा वायु सेना से सुविधाओं के प्रयोग की कोई प्रतिबद्धता प्राप्त नहीं हुई थी, तथापि, एच ए एल ने जे वी सी में निवेश किया। चूंकि जे वी सी की कारोबार योजना के अनुसार प्रमुख आय थलसेना तथा वायुसेना सिमुलेटरों से थी, अतः एच ए एल को जे वी सी में निवेश करने से पूर्व भारतीय सेना तथा वायु सेना से सुविधाओं के उपयोग हेतु प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि नौसेना सिमुलेटर हटा दिया गया (मार्च 2012)।

4.2.5.2 लाइसेंस की लागत का पता न लगाने के कारण अतिरिक्त व्ययः

जे वी सी ने यू एस डी 7.27 मिलियन (₹32.72 करोड़) की कुल लागत पर ए एल एच की दो पूरी तरह बसी हुई कॉकपिट तथा वायुयान डेटा लाइसेंस की आपूर्ति के लिए एच ए एल के साथ करार किया (सितम्बर 2008) जिस में ए एल एच के उपयोगिता रूपान्तर तथा शस्त्र प्रणाली एकीकृत (डब्ल्यू एस आई) रूपान्तर के लाइन प्रतिस्थापन योग्य यूनिट (एल आर यू) हेतु अधिकार प्राप्त करने एवं लाइसेन्स शुल्क की लागत के प्रति ₹3.37 करोड़ शामिल थे। एच ए एल को एल आर यू रूपान्तर तथा डब्ल्यू एस आई रूपान्तर के लिए लाइसेंस प्राप्त करने थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि एच ए एल लाइसेंस प्राप्त करने में लगे रहे फिर भी थल सेना तथा वायु सेना से कोई प्रतिबद्धताएं प्राप्त नहीं हुई थीं तथा मैसर्स इसरायल एयरोस्पेस इण्डस्ट्रीज, इसरायल (विक्रेता जिसे ए एल एच के उपयोगिता रूपान्तर के लिए अधिकार और लाइसेंस देने थे) के साथ बातचीत के पश्चात् (अधिकारों तथा लाईसेंसों के प्रति व्यय) ₹14.30 करोड़ था। जे वी सी के साथ करार करने से पूर्व लाइसेंस की दरों का पता लगाने में एच ए एल के भाग पर विफलता के कारण डब्ल्यू एस आई रूपान्तर के लिए लाइसेंस की लागत को छोड़कर जिसको सुनिश्चित नहीं किया गया था, ₹10.93 करोड़ (₹14.30 करोड़-₹3.37 करोड़) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

एच ए एल ने कहा (मार्च 2015) कि अनुमानित कारोबार की प्राप्ति न करना एच ए एल के भाग पर विफलता नहीं माना जा सकता तथा एच ए एल जे वी सी को सहायता प्रदान कर सकती है। एच ए एल ने यह भी कहा कि जे वी सी के लिए आदेश प्राप्त करना एच

ए एल की जिम्मेवारी नहीं है, सिमुलेटर की स्थापना जे वी सी द्वारा की जानी थी न कि एच ए एल द्वारा। एच ए एल ने यह भी कहा कि उसने उम्मीद की थी/माना था कि शामिल अधिक्तर सप्लायर नाममात्र लागत पर अपने एल आर यू को प्रयोग करने की अनुमति देने पर सहमत हो जाएगें तथा 36 में से 28 सप्लायरों ने एल आर यू के प्रयोग की अनुमति देने के लिए सहमत हो भी गए तथा ₹3.37 करोड़ की अनुमानित निधि के विरुद्ध ₹14.30 करोड़ की लागत पर उपयोगिता रूपान्तर के एल आर यू के लिए शेष आठ में से तीन सप्लायारो की सहमति प्राप्त कर ली गई। उसने यह भी कहा कि डब्ल्यू एस आई रूपान्तर के लिए, अधिकारों तथा लाइसेंस शुल्क के समाधान के प्रति अतिरिक्त व्यय की सीमा का अभी विश्लेषण किया जाना था (मार्च 2015)

उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि एच ए एल ने जे वी सी के साथ करार करने से पूर्व समुचित श्रम नहीं किया था। इस प्रकार, रक्षा सेवाओं से निश्चित प्रतिबद्धता प्राप्त किए बिना जे वी सी में निवेश तथा बाद में नौसेना सिमुलेटर की मन्द ढाल के परिणामस्वरूप एल आर यू के लिए अधिकारों तथा लाइसेंसों की प्राप्ति के कारण एच ए एल के ₹10.93 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के अलावा जे वी सी द्वारा अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं हुए।

4.2.5.3 अनुचित वित्तीय सहायताः डी पी ई दिशानिर्देशों में यह उल्लेख है कि सभी प्रस्ताव, जहां वे पूंजीगत व्यय, निवेश अथवा अन्य मामले से संबंधित हो, जिसमें महत्वपूर्ण वित्तीय अथवा प्रबंधकीय प्रतिबद्धताएं शामिल हों। व्यावसायिक तथा विशेषज्ञों के द्वारा अथवा उनकी सहायता से तैयार किए जाने चाहिए। तथापि, बाह्य व्यावसायिकों तथा विशेषज्ञों की सहायता लिए बिना, एच ए एल ने जे वी सी को उसकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण ₹12.10 करोड़ के दो ऋण दिए (मार्च 2012 तथा जून 2014)। ₹5.60 करोड़ के ऋण तथा ₹58.42 लाख (₹66.64 लाख-टी डी एस) का ब्याज क्रमशः मार्च 2013 तथा जुलाई 2013 में इक्विटी में बदल दिए गए। चूंकि जे वी सी अनुमानों से बहुत कम निष्पादित कर रही थी, एच ए एल ने जे वी सी को कई बार वित्तीय सहायता प्रदान की।

एच ए एल ने कहा (मार्च 2015) कि डी पी ई के अक्टूबर 1997 के दिशानिर्देश पूंजीगत व्यय और निवेश की बात करते हैं तथा ₹6.50 करोड़ के ऋण देना इस श्रेणी में नहीं आता।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि उक्त डी पी ई दिशानिर्देशों में जे वी सी के संबंध में महत्वपूर्ण वित्तीय अथवा प्रबंधकीय प्रतिबद्धताओं से अन्तर्ग्रस्त सभी मामलों का जिकर किया गया है। जेवीसी को वित्तीय सहायता प्रदान करना एच ए एल के हितो में नही था।

4.2.5.4 जे वी सी से बकाया राशिः जे वी सी ने अप्रैल 2011 से मार्च 2015 की अवधि के लिए उसे पट्टे पर दी गई भूमि के लिए ₹2.89 करोड़ की राशि के पट्टे का भी भुगतान नहीं किया था।

एच ए एल ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि जे वी सी ने वित्तीय संकट के कारण पट्टे का भुगतान नहीं किया था।

4.2.6 इण्डों रशियन एविएशन लिमिटेड (आई आर ए एल)

4.2.6.1 एच ए एल पर अधिक निर्भरताः

जे वी सी का गठन यू एस एस आर के पिछले गणतन्त्र को छोड़कर भारत तथा विदेश में वैमानिकी उपकरण की आपूर्ति करने, मरम्मत तथा ओवरहॉल की सुविधाएं प्रदान करने तथा वैमानिकी उपकरण तथा अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के उपयोग के लिए तकनीकी तथा इंजीनियरिंग सहायता सुनिशिचत करने के लिए एच ए एल (48 प्रतिशत), आई सी आई सी आई (5 प्रतिशत) तथा तीन रूसी[20] साझीदारों (47 प्रतिशत) से इक्विटी साझेदारी के साथ गठन किया गया था (सितम्बर 1994)। लेखापरीक्षा ने गुणवता लेखापरीक्षा रिपोर्ट[21] (क्यू ए आर) से देखा कि जे वी सी केवल व्यापार क्रियाकलापों अर्थात एक्सेसरी,

---

[20] फेडरल स्टेट यूनिटरी एण्टरप्राईज, आर ए सी मिग (31 प्रतिशत), रेजन स्टेट इन्स्ट्रूमेंट प्लांट (10 प्रतिशत) तथा एवियाज्पचास्ट (6 प्रतिशत)

[21] एच ए एल तथा डी जी ए क्यू ए के प्रतिनिधियों से निहित दल के द्वारा एच ए एल के कहने पर बनाई गई (दिसम्बर 2013)

एग्रीगेट्स एवं पुर्जों आदि की आपूर्ति में व्यस्त था तथा 2007-13 की अवधि के दौरान जे वी सी के बिक्री का 95 प्रतिशत तक एच ए एल प्रमुख ग्राहक था। आगे, क्यू ए आर ने यह भी बताया कि अन्य कार्यों में लगाने के लिए जे वी सी की प्रौद्योगिकी तक कोई पहुंच नहीं थी जैसा कि संघ के ज्ञापन में परिभाषित है तथा प्रयास मुख्यतः व्यापार क्रियाकलापों के माध्यम से जे वी सी कारोबार को बढ़ाने पर ही केन्द्रित किए गए।

एच ए एल ने कहा (मार्च 2015) कि आई आर ए एल रूसी मूल के एल आर यू के पुर्जों तथा आर ओ एच की आपूर्ति में सहायता कर रहीं थी, विशेषकर जहाँ मुख्य सप्लायर जैसे रोसोबोरोनएक्सपोर्ट एच ए एल की नहीं करते थे क्योंकि मात्रा कम थी तथा एच ए एल इस प्रकार से जे वी सी का लाभ उठा रही थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2007-08 से 2013-14 की अवधि के दौरान जे वी सी की कुल बिक्री ₹360.59 करोड़ थी जिसमें से घरेलू बिक्री ₹347.44 करोड़ (96 प्रतिशत) तथा निर्यात बिक्री ₹13.15 करोड़ (4 प्रतिशत) थी। आगे, ₹347.44 करोड़ की घरेलू बिक्री में से, एच ए एल को बिक्री ₹343.88 करोड (99 प्रतिशत थी) इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जे वी सी केवल एक ट्रेडिंग कम्पनी के रूप में कार्य कर रही थी तथा एच ए एल पर अति निर्भर भी थी।

4.2.7 एच ए एल के हितों की रक्षा न करना

एच ए एल ने जे वी सी में निवेश किया था तथा उनका निष्पादन मॉनीटर करने के लिए जे वी सी बोर्ड पर नामिती नियुक्त किया था। तथापि, शेयरधारकों में परिवर्तन ने एच ए एल को एक जे वी सी में अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटा शेयरधारक बना दिया जो एच ए एल के हित में नहीं था जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

4.2.7.1 बी ए ई एच ए एल सॉफ्टवेयर लिमिटेड

जे वी सी बनाने के लिए अनुमोदन देने से पूर्व, एम ओ डी ने देखा (फरवरी 1991) कि शुरू में जे वी सी से पहले क्षमता उपयोग या प्रौद्योगिकी के अन्तरण के माध्यम से एच ए एल को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ था क्योंकि निर्यात से आय केवल जे वी सी को ही होगी। उसने यह भी कहा कि यह प्रकट होता है कि ब्रिटिश एयरोस्पेस पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (बी ए ई) उत्सुक हैं कि वह एक निजी कम्पनी ही रहेगी ताकि वह सरकार/संसद के दायरे में न आए तथा प्रस्तावित जे वी सी की प्रमुख निर्यात आय केवल ब्रिटिश एयरोस्पेस से बंदी आदेशों से प्रतीत होती है तथा इस प्रकार जे वी सी बनाने में परिकल्पित लाभों को सावधानी से देखा जाना चाहिए। तथापि, एच ए एल ने आश्वासन दिया (फरवरी 1991) कि वह प्रमुख शेयरधारक (एच ए एल 49 प्रतिशत तथा भारतीय वित्तीय संस्था 11 प्रतिशत) के रूप में नीति निर्णयों पर पर्याप्त नियंत्रण रखेगी और वह एच ए एल के समान नियमों के अध्यधीन होगा। जब जे वी सी का गठन किया गया था तो भारतीय वित्तीय संस्था के 11 प्रतिशत शेयर यू टी आई के पास थे। यू टी आई द्वारा धारित शेयर बी ए ई एच ए एल कर्मचारी कल्याण को अन्तरित कर दिए गए थे (मार्च 2002)। बी ए ई एच ए एल कर्मचारी कल्याण न्यास के तीन न्यासी थे जैसे एक अध्यक्ष (एच ए एल नामिती) तथा दो निदेशक (बी ए ई नामिती)। बी ए ई के न्यासियों की संख्या अधिक होने के कारण, न्यास का वास्तविक नियंत्रण केवल बी ए ई के पास ही था। परिणामतः बी ए ई, जे वी सी में अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रमुख शेयरधारक था (जे वी सी में 40 प्रतिशत शेयर होने के कारण तथा न्यास के माध्यम से वास्तविक नियंत्रण के कारण जिसकी जे वी सी में 11 प्रतिशत शेयरधारिता थी) इस प्रकार, यह सरकार को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन था।

एच ए एल ने लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई उत्तर नहीं दिया।

4.2.8 निष्कर्ष

जे वी सी का गठन किन्हीं व्यावसायिकों तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाए बिना ही किया गया था। 26 प्रतिशत से अधिक एफ डी आई के साथ जे वी सी का गठन भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था। पांच जे वी सी ने वे उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जिनके लिए उनका गठन किया गया था। जे वी सी के साथ डील करते समय एच ए एल अपने हितों की रक्षा करने में विफल रही तथा जे वी सी में एक प्रमुख शेयरधारक/समान शेयरधारक होने के बावजूद, उसके पास प्रचालनात्मक निष्पादन के निरीक्षण हेतु कोई प्रभावी मॉनीटरिंग नियंत्रण तन्त्र नहीं था।

4.3 डेरिन-III के लिए नियत सुपुर्दगी कार्यक्रम के साथ अनुबंध स्वीकार करने के कारण निर्णीत हर्जाने हुए

अनुबंध में प्रदत परिवर्तन आदेशों का सहारा लिए बिना नियत सुपुर्दगी कार्यक्रम के साथ डिजाईन एवं विकास की स्वीकार्यता के परिणामस्वरूप ग्राहक द्वारा मार्च 2014 तक ₹7.19 करोड़ के निर्णीत हर्जानों की वसूली हुई।

एम ओ डी ने निश्चित तथा नियत लागत के रूप में ₹3113.02 करोड़ की पैकेज कीमत पर डिस्पले अटैक रेजिंग तथा इनर्शियल नेवीगेशन एविऑनिक्स सिस्टम (डेरिन)III[22] तैयारी के मापदण्ड (एस ओ पी) के लिए जगुआर वायुयान को उन्नत करने के लिए मै. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) के साथ एक अनुबंध किया (दिसम्बर 2009)। अनुबंध के क्षेत्र में ₹411 करोड़ की लागत पर अन्तिम प्रचालनात्मक अनुमति (एफ ओ सी) मानक तक तीन डेरिन-I वायुयानों (एक एकल सीट, एक समुद्री तथा दो सीट वाला एक जगुआर वायुयान) का परीक्षण आशोधन तथा प्रमाणन और ₹2702.02 करोड़ की लागत पर एफ ओ सी मानक तक 58 जगुआर वायुयान का श्रृंखला आशोघन शामिल था। अनुबंध में अधिकतम 5 प्रतिशत की शर्त पर प्रत्येक सप्ताह अथवा

---

[22] डेरिन-III, अतिरिक्त कारकों जैसे मल्टीमोड ई एल टी ए रडार, दोहरी एस एम डी के साथ ग्लास काकॉपिट तथा ई एफ आई एस, खुली प्रणाली वास्तुकला मिशन कम्प्यूटर, सॉलिड स्टेज डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग प्रणालियों तथा डिसप्लें तथा डेटा संचालन से संबंधित अतिरिक्त क्रियात्मकताओं के साथ डेरिन-II का एक प्रचालनात्मक रूप से संशोधित रूपान्तर होगा।

उसके भाग के विलम्ब हेतु विलम्बित/आपूरित भण्डारों/सेवाओं के मूल्य के 0.5 प्रतिशत मूल्य पर निर्णित हरजानों (एल डी) के उद्ग्रहण का प्रावधान था। संविदागत समय-सीमा निम्न प्रकार से थेः

मीलपत्थर	विवरण	संचयी समय सीमा
1	परियोजना संस्वीकृति (21 दिसम्बर 2009)	
2	प्राथमिक डिजाईन समीक्षा (पी डी आर) 20.02.2010 तक पूरी की जानी थी	2 महीने
3	महत्वपूर्ण डिज़ाईन समीक्षा (सी डी आर) 20.09.2010 तक पूरी की जानी थी	9 महीने
4	वायुयान एकीकरण की शुरूवात 20.04.2011 तक	16 महीने
5	प्रोटोटाईप वायुयान की पहली उड़ान 20.10.2012 तक	22 महीने
6	एकल सीट वायुयान का शुरूवाती प्रचालनात्मक अनुमति (आई ओ सी) 20.12.2012 तक	36 महीने
7	अन्तिम प्रचालनात्मक अनुमति (एफ ओ सी) 20.06.2013 तक	42 महीने

इस प्रकार, संविदागत प्रतिबद्धता के अनुसार, एफ ओ सी परियोजना संस्वीकृति के 42 महीने में प्राप्त की जानी थी जो जून 2013 थी।

अनुबंध में प्रावधान था कि प्राथमिक डिजाईन समीक्षा तथा क्रांतिक डिजाईन समीक्षा, आई ए एफ के समन्वय से प्राप्त की जाएगी और इस प्रकार अनुबंध में यह अन्तर्निष्ठ था कि एस ओ पी तथा तकनीकी अपेक्षाओं में परिवर्तन हो सकते हैं। अनुबंध के खण्ड-6 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि यद्यपि विशिष्टताएं तथा कार्य की विवरणी के अनुबंध के अनुच्धेदक में उल्लेख हैं, तथापि, एच ए एल को डिजाईन, आरेखणों तथा विशिष्टताओं में तकनीकी उन्नयन/परिवर्तन ग्राहक के परामर्श से करना था। यह भी प्रावधान किया गया था कि तकनीकी विशिष्टताओं तथा उसके समय और लागत निहितार्थों में कोई प्रमुख परिवर्तन, एक परिवर्तन आदेश के माध्यम से दोनो पक्षों में

लिखित करार के माध्यम से ही होगा। तथापि, एच ए एल ने परिवर्तन आदेशों का सहारा नहीं लिया हालांकि तकनीकी विशिष्टताओं में अधिक परिवर्तन था जिसने समय तथा लागत को प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 60 महीने के बाद (दिसम्बर 2014) भी, एच ए एल ने एक प्रोटाटाईप (समुद्री) वायुयान की पहली उड़ान का केवल पांचवां मीलपत्थर प्राप्त किया था जो 22 महीने (अर्थात अक्तूबर 2012 तक) प्राप्त किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि यद्यपि एच ए एल के पास अप्रैल 2011 तक वायुयान एकीकरण की शुरूआत के लिए अपेक्षित सभी भागों/संघटकों की खरीद के लिए 16 महीने उपलब्ध थे, वैमानिकी एकीकरण रिग (ए आई आर) तथा तीन प्रणालियों[23], जो वायुयान पर फिट की जानी थी, की खरीद प्रक्रिया में आठ से 24 महीने तक का विलम्ब था। स्वयं एच ए एल द्वारा तीन प्रणालियों की आपूर्ति के लिए निर्धारित डिलीवरी कार्यक्रम अप्रैल 2011 के बाद थे। चूंकि अनुबंध समय सीमा का पालन नहीं हुआ था, आई ए एफ ने पांचवे मीलपत्थर की प्राप्ति में विलम्ब के लिए निर्णीत हरजानों के प्रति ₹4.11 करोड़ की कटौती की (2012-13) तथा आगामी विलम्ब को ध्यान में रखते हुए एच ए एल ने निर्णीत हरजानों के प्रति ₹3.08 करोड़ का प्रावधान किया था।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2014/दिसम्बर 2014) कि आई ए एफ के भावी कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए एस ओ पी तथा डिजाईन वास्तुकला के विन्यास में बदलाव थे जिनके कारण तकनीकी अपेक्षाओं की फ्रीज़िंग तथा आई ए एफ के समन्वय में नई प्रणाली को अन्तिम रूप देने तथा खरीद में विलम्ब हुआ। उसने यह भी कहा कि अनुबंध संशोधन तब शुरू किया जाएगा जब डिजाईन तथा विन्यास इतने परिपक्व होंगे कि वे प्रभाव का समुचित अनुमान लगा सकें।

उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि एच ए एल ने इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद एक नियत डिलीवरी कार्यक्रम का वचन दिया था कि एस ओ पी में विलम्ब तथा आई ए एफ द्वारा तकनीकी विशिष्टताओं की फ्रीजिंग में परिवर्तन हो सकते थे जो प्रतिबद्ध डिलीवरी कार्यक्रम को स्वीकार करने तथा परिवर्तन कार्यक्रम को प्रभावित करेगा।

---

[23] टेलीमेट्री, चुस्त बहु कार्य प्रदर्शन एवं इंजन उड़ान उपकरण प्रणाली।

एस ओ पी की फ्रीजिंग के बिना नियत डिलीवरी आदेशों के माध्यम से कार्य न करने के परिणामस्वरूप मार्च 2014 तक निर्णीत हर्जानों के प्रति ₹7.19 करोड़ की देयता हुई तथा एच ए एल को और हानियां होने की संभावना थी। एच ए एल का यह निर्णय उसके वित्तीय हितों के विरूद्ध था।

नई दिल्ली **(भानु प्रताप यादव)**
दिनांकः 18 नवम्बर 2015 **प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा**
वायु सेना

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांकः 23 नवम्बर 2015 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**